न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 1/2022
तारीख दायर 24.01.2022
पीठासीन अधिकारीः– गोपाललाल स्वर्णकार, आरएएस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

– प्रार्थी

बनाम

श्री विशाल जैन पुत्र श्री रिषभ चन्द जैन, मैसर्स विशाल ट्रेडर्स, प्रतापचौक, छोटीसादडी
अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 06/04/2022

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (अमन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल [illegible] लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत [illegible] 22.10.2021 को दोपहर 1.30 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स विशाल [illegible] प्रतापचौक, छोटीसादडी [illegible] प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां दौराने निरीक्षण रिफाईण्ड सोयाबीन तेल, अ[illegible] ब्राण्ड 500–500 एमए[illegible] 25 बोतले पैक अवस्था में रखी थी। उस समय दुकान पर श्री विशाल जैन पुत्र श्री रिषभ चन्द जैन उपस्थित थे। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्था का मालिक होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर विक्रेता द्वारा अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.14 14:51:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

पैक अवस्था में रखे रिफाईण्ड सोयाबीन तेल अमन ब्राण्ड पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया गया ओर बताया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 500–500 एमएल की रिफाईण्ड सोयबीन तेल अमन ब्राण्ड की 4 पैक बोतले वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 320 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने पढ़कर, समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 एमएल की रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (अमन ब्राण्ड) की पैक बोतलो पर विक्रेता एवं गवाहान के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. के कोड क्रमांक वाई–1247 नियमानुसार चारो नमूना डिब्बों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए हस्ताक्षर करवाये , गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये ओर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छह प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को श्री तोलिया मीणा च.श्रे.क. के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर [illegible] 6 की रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शे[illegible] संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबन्द कर त[illegible] अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराक[illegible] सीदे प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.14 14:51:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अमन ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त नियत दिनांक को उपस्थित एवं प्रकरण में जवाब देने से मना किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH lab./bans./act/2021/242 दिनांक 01.11.2021 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अमन ब्राण्ड)का नमूना जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होना पाया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त **मिसब्राण्ड सोयाबीन तेल** विक्रय करने का दोषी पाया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । चूंकि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त कृत्य प्रथम बार किया गया है। अतः उक्त खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में दोबारा पुनरावृति नही करने की चेतावनी के साथ उपरोक्त प्राव[illegible]द्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित कि[illegible]युक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं निय[illegible]11 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप[illegible]क्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी के वहां दिनांक 22.10.2021 को उपलब्ध कुल माल 25 बोतल प्रत्येक बोतल की कीमत 80 रू) के हिसाब से कुल राशि 2000 की पांच गुना शास्ति 10,000 रू **(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र)** अप्रार्थी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.14 14:51:58 IST
Reason: SelfAttested

आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 06.04.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक / रीडर / 2022 / 48 दिनांक 06.04.2022

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री विशाल जैन पुत्र श्री रिषभ चन्द जैन, मैसर्स विशाल ट्रेडर्स, प्रतापचौक, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.14 14:31:58 IST
Reason: SelfAttested